

29/08/25

पत्रा० पैरा हुई। वादी वकील उप०। वादी वकील की शकतरफा बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम लहर पुत्र लोहरे के स्थान पर तेजा पुत्र लोहरे दर्ज हो गया है। जो कि गलत इन्द्राजात हो गया है। जिस

क



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हुए

हुक्म किया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ग्राम करारा से त्रेजा पुत्र ओहरे नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लहर पुत्र ओहरे रहता था, जिनकी वर्ष 2012 में मृत्यु हो चुकी है। एवं त्रेजा पुत्र ओहरे के स्थान पर लहर पुत्र ओहरे जाति जाटव नि० करारा ग्राम शुद्ध करने की अभिशंका भी की गई है।

अतः वही का वाद खींचार किया जाकर कादीगण के पिता का नाम जमावदी के खाना सं. 72 वाले ग्राम नयावास में त्रेजा पुत्र ओहरे के स्थान पर लहर पुत्र ओहरे जाति जाटव निवासी कलाश किया जाना है। उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन करने की अनुमति प्रदान की

पत्रा संसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर कारिल रिफर हो।

उपखण्ड अधिकारी नदबई (नरतपुर)

है H36 118 दिनांक दि 11/11/18
दिनांक H36 दिनांक दि 11/11/18
दिनांक दि 11/11/18

दिनांक दि 11/11/18
दिनांक दि 11/11/18
दिनांक दि 11/11/18